2016/00067

41/16

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कैथरी)

पीठासीन अधिकारी --विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या--41/2016

1--ल्होरे पुत्रश्री तुला जाति कुशवाह निवासी ग्राम फूटा का नगला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
2--रामजीलाल 3--जलसिंह 4--देवीचरन 5--प्रेमसिंह पिसरान पॉचिया जाति कुशवाह निवासी ग्राम रामसहाय का नगला पंचायत बोरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर

------------वादीगण

बनाम

1--मंगलसिंह 2--प्रेमसिंह 3--महादेव 4--मुरारी पुत्रगण आदिराम जाति कुशवाह निवारी ग्राम फूटा का नगला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
5--मीनावती पत्नी नथोली पुत्री आदिराम जाति कुशवाह निवासी लेबूडा पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर
6--सोमती पत्नी देवलाल पुत्री आदिराम जाति निवासी लेबूडा पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर
7--सम्पति देवी पत्नी मोहनसिंह पुत्री आदिराम जाति कुशवाह निवासी ग्राम तुरकपुरा तहसील खेरागढ जिला आगरा
8- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

..........प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव स्थाई निषेधाज्ञा एवं कराये जाने पत्थर गढी

उपस्थिति--
1--श्री ल्होरे -- वादी
2--मंगलसिंह वगैरा-- प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 10.7.2017

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण वास्ते बटवारा काश्त न्यायालय में विवादित आराजी खसरा 413 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम फूटा का नगला तहसील सैपऊ का प्रस्तुत किया । उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 05.6.2017 को दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये गये है तथा

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
ग्राम पंचायत ....

CH/ 1116 C 21/5/2016

तहसीलदार सैपऊ को आदेशानुसार कार्यवाही कर अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

नायब तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारों द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की । तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक आदेश विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये किये जाना प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम फूटा का नगला तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1– ल्होरे पुत्रश्री तुला हिस्सा 1/2 दिशा पश्चिमी सा0 देह व रामजीलाल, जलसिंह, देवीचरन, प्रेमसिंह पिसरान पांचिया हिस्सा बराबर 1/2 कौम कछवाये दिशा पूरव निवासी रामसहाय का नगला मजरा बौरेली तहसील बसेडी

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	413/1	1.19
कुल	01	1.19

2–मंगलसिंह, प्रेमसिंह, महादेव व मुरारी पुत्रान आदिराम हिस्सा बराबर कौम काछी साकिन देह

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	413/2	1.19
कुल	01	1.19

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उप खण्डाधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....